BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 669 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Abhay Sharma ...Applicant

Versus

State of U.P. & Ors. ...Respondents

INDEX

S.No	Particulars	Page No.
1.	Report on behalf of the Respondent no.3 UPPCB	1-3
2.	**ANNEXURE R/2-1** Copy of the inspection Report so carried out by UPPCB on 04.06.2026	4-6
3.	**ANNEXURE R/2-2** Copy of the letter dated 20.06.2026 along with computation of EC	7-9

Date: 10/7/2026
Place: New Delhi

Aditya Vaibhav Singh

Through
Aditya Vaibhav Singh
(Counsel for UPPCB)
A-394, LGF. Defence Colony
(E):adityavaibhavsingh@protonmail.com
(M): 9934100100

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 669 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Abhay Sharma ...Applicant

Versus

State of U.P. & Ors. ...Respondents

REPORT ON BEHALF OF THE RESPONDENT No. 3, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, (HEREINAFTER REFERRED AS UPPCB) IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 27.04.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

I, Amit Mishra, aged about 45 years, S/o Shri D.P Mishra presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh pollution Control Board (UPPCB), Agra, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case, and as such, I am Competent and authorized to swear this affidavit.

2. That in the present Original Application, the grievance of the Applicant pertains to the illegal operation of two hot mix plants, namely Khushi Infotech, situated at Gata No. 1068/2 and G.G Infotech, situated at Gata No.960, located at Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra, which fall within the Taj Trapezium Zone (TTZ) area and are being operated in

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt. AGRA Regd. No. 2523/02 VALID-04/12/27 GOVT. OF INDIA

violation of applicable environmental laws, norms and statutory regulations.

3. That this affidavit is been filed in compliance of the order dated 27.04.2026 passed by this Hon'ble Tribunal.

4. That pursuant to the above order the officials from the UPPCB conducted the inspection on 04.06.2026 in the presence of Shri Devi Singh, representative of the industrial unit i.e. M/s G.G. Infratech, Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra. Copy of the inspection report is annexed as **Annexure-R/2-1.**

5. That in view of the order dated 21.05.2026 passed by Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No.757-760/2023, titled as, "D.P.C.C Vs. Union of India and Ors" wherein the Hon'ble Apex Court observed that Pollution Control Boards can impose and collect compensatory environmental damages even in the absence of subordinate legislation, the Regional Office UPPCB, Agra vide letter dated 20.06.2026 addressed to the UPPCB, HQ, Lucknow recommended imposition of EC of Rs 12,18,750/- for a period of 195 days i.e. from 14.08.2025 (date of first inspection) to 24.02.2026 (sealing done pursuant to closure order) M/s G.G. Infratech. Copy of the letter dated 20.06.2026 along with computation of EC is annexed as Annexure R/2-2.

NOTARY GOVT. OF INDIA

6. The present affidavit on behalf of UPPCB is submitted before this Hon'ble Tribunal for it's kind and perusal and consideration.

Deponent

VERIFICATION

Verified at ..... on this.... Day of .... 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Deponent

Explained to Sh. Amit Mishra
Read by Presently Posted Regional officer (UPPCB) Agra
Who understood the contents
Solemnly affirmed & declare on
Oath on 09/7/2026
At Agra
Identified by

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

Email:roagra@uppcb.in

पत्रांकः– 201 / L-297 /2026

दिनांकः– 09/06/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मेसर्स जी0जी0 इन्फाटेक द्वारा ग्राम–वीरई, तह0–खेरागढ़, जनपद–आगरा के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, यथासंशोधित के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त उद्योग के विरूद्ध प्राप्त जन शिकायती प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–669/2025 अभय शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी के रूप में विचाराधीन है, जिसमे अग्रिम सुनवाई तिथि–16.07.2026 नियत है। मा0 अधिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक–27.04.2026 को सुनवाई के समय प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मेसर्स जी0जी0 इन्फाटेक द्वारा ग्राम–वीरई, तह0–खेरागढ़, जनपद–उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक–04.06.2026 को किया गया। निरीक्षण आख्या मूल रूप में संलग्न है।

अतः निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त किये वायु प्रदूषणकारी प्रकृति की प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना/संचालन किये जाने की दशा में उक्त इकाई मेसर्स जी0जी0 इन्फाटेक द्वारा ग्राम–वीरई, तह0–खेरागढ़, जनपद–आगरा के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत विधिक/अभियोजनात्मक सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

SA

मैसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक द्वारा ग्राम–वीरई, तह0–खेरागढ़, जनपद–आगरा के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, यथासंशोधित के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या :–

उक्त इकाई के विरूद्ध प्राप्त जन शिकायती प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–669/2025 अभय शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी के रूप में विचाराधीन है, जिसमे अग्रिम सुनवाई तिथि 16.07.2026 नियत है। मा0 अधिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक–27.04.2026 को सुनवाई के समय प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, से प्राप्त मौखिक निर्देशों के अनुक्रम में उक्त उद्योग का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक–04.06.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री देवी सिंह, चौकीदार उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों, कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा हुई मौखिक वार्तानुसार निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. उद्योग द्वारा ग्राम–वीरई, तह0–खेरागढ़, जनपद–आगरा की गाटा सं0–960 पर हॉट मिक्स प्लाण्ट स्थापित किया गया है। उद्योग के स्थल का **अक्षांश–26.980228** एवं **देशान्तर–77.951343** है।
2. उद्योग स्थल के पूरब दिशा में 500 मी0 की दूरी तक खुला मैदानी क्षेत्र, पश्चिम दिशा में लगभग 20 मी0 की दूरी पर ग्वालियर–आगरा राज्यमार्ग, उत्तर दिशा में लगभग 700 मी0 की दूरी पर ग्राम–नगला केशरी का आबादी क्षेत्र एवं दक्षिण–पश्चिम दिशा में लगभग 180 मी0 की दूरी पर मै0 सैंथिया फिलिंग स्टेशन के नाम से भारत पेट्रोलियम का रिटेल आउटलेट स्थापित पाया गया। उद्योग का स्थल ताज ट्रेपैजियम जोन (टी0टी0जैड0) के अन्तर्गत आच्छादित होना संज्ञानित है।
3. इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में स्टोन एग्रीगेट्स एवं बिटुमिन का उपयोग कर बिटुमिनस हॉट मिक्स कंक्रीट का उत्पादन किया जाना सूचित है। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा हॉटमिक्स प्लाण्ट की हॉट मिक्स कंक्रीट उत्पादन क्षमता से अवगत नहीं कराया जा सका एवं प्लान्ट से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त उद्योग केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रवर्गीकृत उद्योगो की सूची में नांरगी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है।
4. इकाई द्वारा जल का उपयोग स्कबिंग प्रकिया एवं घरेलू प्रयोजन में किया जाना सुचित है। स्कबिंग प्रकिया में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैक के माध्यम से पुनःचकित किया जाना सूचित है। निरीक्षण के समय स्कबिंग प्रकिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु समुचित स्थापित नहीं पायी गयी। घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले वहिश्राव के शुद्धीकरण हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी।
5. इकाई की प्रक्रिया में फायरिंग हेतु ईंधन के रूप में एल0पी0जी0 का प्रयोग किया जाना सूचित है। इकाई की उद्योगिक प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर की व्यवस्था स्थापित पायी किन्तु बिटुमिनस टैक एवं मिक्चर टैंक से उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु पर्याप्त ऊचाई की चिमनी स्थापित नहीं पायी गयी। उक्त के अतिरिक्त उद्योग में 125 के0वी0ए0 क्षमता का एक डी0जी0 सेट कैनोपी मुक्त स्थापित पाया गया। डी0जी0 सेट के एग्जॉस्ट पर संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी।
6. इकाई द्वारा स्टोन एग्रीगेट्स के अनलोडिंग के समय उत्पन्न डस्ट उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था तथा नियमानुसार बाउन्ड्रीवॉल स्थापित नहीं किया गया है।
7. इकाई द्वारा हॉट मिक्स प्लाण्ट की स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल एवं वायु) आदेश प्राप्त नहीं किया गया है। उद्योग का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल एवं वायु) आदेश किये जाने के साक्ष्य पूर्व में किये गये निरीक्षण के समय पाये गये थे।

क्रमशः 2/– पर.........

8. इकाई का निरीक्षण पूर्व में दिनांक–14.08.2025 को किया गया था। तत्समय निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यो के आधार पर संदर्भित उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, यथासंशोधित की धारा–31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 33039 / सी–4 / सहमति–304 / का0ब0नो0 / 2025 दिनांक–25.09.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तदोपरान्त दिनांक 02.12.2025 को किये गये निरीक्षण के आधार पर उद्योग के विरूद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 38314 / सी–4 / सहमति–304 / का0ब0नो0 / 2026 दिनांक–23.02.2026 द्वारा बन्दी आदेश जारी है।
9. उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, यथासंशोधित के अन्तर्गत राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उक्त वाद में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक–05.01.2026 के माध्यम से गठित समिति द्वारा दिनांक–24.02.2026 को उद्योग की मशीनरी को सील किया गया। निरीक्षण के समय सील सुरक्षित पायी गयी।
10. उद्योग द्वारा वायु प्रदूषणकारी प्रकृति की प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये की गयी, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने का सूचक है।

उपरोक्तनुसार उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र किये वायु प्रदूषणकारी प्रकृति की प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना किये जाने की दशा में उक्त इकाई मेसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक द्वारा ग्राम–वीरई, तह0–खेरागढ़, जनपद–आगरा के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत विधिक / अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

04.06.26
(अमरेन्द्र सिंह)
वैज्ञा0 सहा0

04/06/2026
(यू0के0 गुप्ता)
सहा0 पर्या0 अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

07/06/2026

Email:roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः—236/L-297/2026 दिनांकः—20/06/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मेसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक द्वारा ग्राम—वीरई, तह0—खेरागढ़, जनपद—आगरा पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त उद्योग के विरूद्ध प्राप्त जन शिकायती प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0—669/2025 अभय शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी के रूप में विचाराधीन है, जिसमे **अग्रिम सुनवाई तिथि—16.07.2026** नियत है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0—757—760/2013, डी.पी.सी.सी. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2026 के दृष्टिगत उल्लंघनकारी उद्योगों/परियोजनाओं/इकाईयो के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0—एच 41733/विधि/सिविल अपील सं0—757—760/13/26 दि0 01.06.2026 द्वारा कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत है। तत्क्रम में मेसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक द्वारा ग्राम—वीरई, तह0—खेरागढ़, जनपद—आगरा का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक—18.06.2026 को किया गया। निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त इकाई मेसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक द्वारा ग्राम—वीरई, तह0—खेरागढ़, जनपद—आगरा पर दिनांक 14.08.2025 (कार्यालय अभिलेखानुसार प्रथम निरीक्षण तिथि) से दिनांक 24.02.2026 (बन्दी आदेश के अनुपालन में सीलिंग तिथि) की उल्लंघनकारी अवधि तक अर्थात 195 दिनों की अवधि हेतु गणनानुसार कुल धनराशि रू0—12,18,750/— मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय

(अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

मेसर्स जी0जी0 इन्फाटेक द्वारा ग्राम–वीरई, तह0–खेरागढ़, जनपद–आगरा पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या :–

उक्त इकाई को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, यथासंशोधित के अन्तर्गत राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 33039/सी–4/सहमति–304/का0ब0 नो0/2025 दिनांक 25.09.2025 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक–02.12.2025 एवं अद्यतन निरीक्षण दिनांक–18.06.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री भूपेन्द्र सिंह, सुपरवाईजर उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों, कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा हुई मौखिक वार्तानुसार निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. उक्त उद्योग द्वारा ग्राम–वीरई, तह0–खेरागढ़, जनपद–आगरा मे हॉट मिक्स प्लाण्ट स्थापित है। उद्योग के स्थल का **अक्षांश–26.980228** एवं **देशान्तर–77.951343** है। इकाई को हॉट मिक्स प्लाण्ट की स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होना अभिलेखो में संज्ञानित नहीं है।
2. इकाई का स्थल ताज ट्रेपैजियम जोन (टी0टी0जैड0) के अन्तर्गत आच्छादित होना संज्ञानित है।
3. इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में स्टोन एग्रीगेट्स एवं बिटुमिन का उपयोग कर बिटुमिनस हॉट मिक्स कंक्रीट का उत्पादन किया जाना सूचित है। उक्त उद्योग केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रवर्गीकृत उद्योगो की सूची में नांरगी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है।
4. इकाई द्वारा जल का उपयोग स्कबिंग प्रकिया एवं घरेलू प्रयोजन में किया जाना सुचित है। स्कबिंग प्रकिया में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैक के माध्यम से पुनःचकित किया जाना सूचित है। निरीक्षण के समय स्कबिंग प्रकिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु समुचित स्थापित नहीं पायी गयी। घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले वहिश्राव के शुद्धीकरण हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी।
5. इकाई की प्रक्रिया में फायरिंग हेतु ईंधन के रूप में एल0पी0जी0 का प्रयोग किया जाना सूचित है। इकाई की उद्योगिक प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर की व्यवस्था स्थापित पायी, किन्तु बिटुमिनस टैक एवं मिक्चर टैंक से उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु पर्याप्त ऊचाई की चिमनी स्थापित नहीं पायी गयी। उक्त के अतिरिक्त उद्योग में 125 के0वी0ए0 क्षमता का एक डी0जी0 सेट कैनोपी मुक्त स्थापित पाया गया। डी0जी0 सेट के एग्जॉस्ट पर संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी।
6. इकाई द्वारा स्टोन एग्रीगेट्स के अनलोडिंग के समय उत्पन्न डस्ट उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था तथा नियमानुसार बाउन्ड्रीवॉल स्थापित नहीं है।
7. इकाई द्वारा हॉट मिक्स प्लाण्ट के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल एवं वायु) आदेश प्राप्त नहीं किया गया है।
8. इकाई का निरीक्षण पूर्व में दिनांक–14.08.2025 को किया गया था। तत्समय निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यो के आधार पर संदर्भित उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, यथासंशोधित की धारा–31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 33039/सी–4/सहमति–304/का0ब0नो0/2025 दिनांक 25.09.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक–02.12.2025 को किया गया एवं निरीक्षण आख्या के आधार पर कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी।
9. इकाई के विरूद्ध राज्य बोर्ड जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.09.2025 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 24.12.2025 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के कम में राज्य बोर्ड के पत्र सं0–एच 38316/सी–4/सहमति–304/का0ब0नो0/2026 दिनांक 23.02.2026 द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत है। उक्त निर्देशो का अनुपालन समिति द्वारा दिनांक 24.02.2026 को सुनिश्चित कराया गया। वर्तमान में निरीक्षण के समय उद्योग की सील सुरक्षित पायी गयी।

क्रमशः 2/– पर.........

10. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0–757–760/2013, डी.पी.सी.सी. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2026 के दृष्टिगत उल्लंघनकारी उद्योगों/परियोजनाओं/इकाईयो के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–एच 41733/विधि/सिविल अपील सं0–757–760/13/26 दिनांक 01.06.2026 द्वारा निर्गत है।

11. निरीक्षण के समय पाया गया कि उद्योग राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्राप्त किये संचालन हेतु स्थापित किया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार प्रथम निरीक्षण तिथि–14.08.2025 से बन्दी आदेश के अनुपालन में सीलिंग तिथि–24.02.2026 तक के मध्य की अवधि में उक्त इकाई के संचालित होने के साक्ष्य भौतिक सत्यापन के समय मौके पर पाये गये यद्यपि इकाई संचालित नहीं पायी गयी। भौतिक सत्यापन के समय संचालन के साक्ष्य पाये जाने के आलोक में उक्त इकाई द्वारा उल्लंघनकारी अवधि दिनांक 14.08.2025 से दिनांक–24.02.2026 के मध्य की अवधि अर्थात कुल 195 दिन रही। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों दिनांक–08.02.2019 के अनुसार उद्योग पर डिफाल्टर अवधि अर्थात् 195 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्न गणनानुसार अधिरोपित किया जाना उचित होगा :–

Environmental Compensation (EC) = Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale of operation(S) x Location Factor (LF).

Where,

Pollution Index (PI) = **50** (80 for red category unit, 50 for orange category unit, 30 for green category unit)

N = No. of days from which the non-compliance has been observed. **=195**

R= **250** (R factor in Rupees)

S= Factor for scale of operation=**0.5** as investment of unit is less than Rs. 50 Lac (0.5 for small scale unit, 1.0 for medium scale unit, 1.5 for large scale unit)

LF= Location Factor= **1.0 as population of Birai, Tehra, Taharpur, Saiyan lies between 1 lac to 10 lac**. (LF is 1.0 for population less than 10 lac, 1.25 for population 10 lac to 50 lac, 1.5for population 50 lac to 1 Cr and 2 for population more than 10 Cr)

Therefore EC = PI x N x R x S x LF

= 50x195x250x0.5x1.0 = Rs.12, 18,750/-

12. इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत विधिक/अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्र सं0–201/एल–297/2026 दिनांक–09.06.2026 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त इकाई मेसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक द्वारा ग्राम–वीरई, तह0–खेरागढ़, जनपद–आगरा पर दिनांक 14.08.2025 (कार्यालय अभिलेखानुसार प्रथम निरीक्षण तिथि) से दिनांक 24.02.2026 (बन्दी आदेश के अनुपालन में सीलिंग तिथि) की उल्लंघनकारी अवधि तक अर्थात 195 दिनों की अवधि हेतु कुल धनराशि रू0–12,18,750/– मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

20.06.26
(अमरेन्द्र सिंह)
वैज्ञा0 सहा0

20/06/2026
(यू0के0 गुप्ता)
सहा0 पर्या0 अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

20/06/2026